संख्या-1549 /43-2-2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 29 सितम्बर, 2010

विषयः जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर तत्कालीन मुख्य सचिव की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या-695/43-2-2007, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 व शासनादेश संख्या-1947/43-2-15/2(2)/2007, दिनांक 2 अगस्त, 2007 तथा प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-3210/43-2-2007, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 एवं परिपत्र संख्या-भा0स0(पी0जी0)/63/43-2-2010, दिनांक 30 अगस्त, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त परिपत्रों के माध्यम से यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 व धारा-19 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकरणों में अपने विवेकानुसार उचित स्तर के अधिकारियों को उनके पद नाम से जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए संलग्न प्रारूप में उनका विवरण अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराकर उसकी सी0डी0/सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उत्तर प्रदेश, राज्य सूचना आयोग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाय। समस्त विभागों से अभी तक उक्त विवरण/सी0डी0 प्रशासनिक सुधार विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीन सभी लोक प्राधिकरणों में अपने विवेकानुसार उचित स्तर के अधिकारियों को उनके पदनाम से जन सूचना अधिकारी, व प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए संलग्न प्रारूप में उनका विवरण अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराकर उसकी सी0डी0 प्रशासनिक सुधार विभाग को तथा उत्तर प्रदेश, राज्य सूचना आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य सूचना आयोग, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्राप्त सूचना संकलित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org